

विश्राम कक्ष
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
प्रशासनिक आदेश

दिनांक—06.01.2024

माननीय जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी से गौथिक विचार विभाग के उपरान्त माह जनवरी 2024 से माह मई 2024 में अवकाश के दिनों में जनपद कौशाम्बी के न्यायालयों के रिमाण्ड/आवश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की ढ्यूटी निम्नवत लगायी जाती है।

क्र०सं०	माह	मजिस्ट्रेट का नाम
1	जनवरी	श्रीमती मनीषा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
2	फरवरी	श्रीमती मेघा अग्रवाल, सिविल जज सी0डिओ/त्वरित न्यायालय, कौशाम्बी।
3	मार्च	श्रीमती फरहा नाज परवीन, सिविल जज जू0डिओ/त्वरित न्यायालय-प्रथम, कौशाम्बी।
4	अप्रैल	श्रीमती सौम्या गिरि, सिविल जज सी0डिओ, कौशाम्बी।
5	मई	श्री हेमेन्द्र सिंह, सिविल जज जू0डिओ/त्वरित न्यायालय-द्वितीय, कौशाम्बी।

उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अपने ढ्यूटी माह में पड़ने वाले अवकाश के दिन एवं किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा। रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य अपरान्ह समय 02.00 बजे से 04.00 बजे के मध्य से कार्य समाप्ति तक उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने—अपने न्यायालय कक्ष में सम्पादित किया जायेगा।

दिनांक—06.01.2024

(दीपक कुमार जायसवाल)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 कौशाम्बी।

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी।
02. जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
03. पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश की सूचना उनके द्वारा जिले के समस्त थानों के भार साधक अधिकारियों को तत्काल प्रेषित किया जाय।
04. अधीक्षक, जिला कारागार, कौशाम्बी।
05. संयुक्त निदेशक अभियोजन, कौशाम्बी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की सूचना अपने समस्त अधीनस्थ अभियोजन अधिकारियों को तत्काल प्रदान कर दें।
06. सेकेटरी, माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, कौशाम्बी।
07. केन्द्रीय नाजिर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित चौकीदार को तदनुसार सूचित व निर्देशित करें।
08. सम्बन्धित अधिकारीगण सूचित हो।

दिनांक—06.01.2024

(दीपक कुमार जायसवाल)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 कौशाम्बी।

५००७
8.1.2024